रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 67] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 16, 2005/फाल्गुन 25, 1926
No. 67] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 16, 2005/PHALGUNA 25, 1926

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2005

सं. 61/2004—2009

फा. सं. 01/94/180/0009/ए एम 05/पी सी 4.—विदेश व्यापार नीति, 2004—2009 के पैरा 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा प्रक्रिया पुस्तक, (खण्ड-1) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :—

पैरा 3.12 को संशोधित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :—

आर.सी.एम.सी. (पंजीकरण सह-सदस्यता प्रमाणपत्र) जारी करने वाले प्राधिकारी	3.12	जो निर्यातक पंजीकरण सह-सदस्यता प्रमाणपत्र (आर सी एम सी) प्राप्त करना चाहता है उसे आवेदन में अपने मुख्य व्यापार की घोषणा करनी होगी, यह आवेदन उक्त व्यापार से संबंधित निर्यात संवर्धन परिषद् (ई पी सी) को प्रस्तुत किया जाएगा। तथापि, एक स्तर धारक के पास भारतीय निर्यातक संगठन महासंघ (फियो) से आर सी एम सी प्राप्त करने का विकल्प होगा। उपर्युक्त के बावजूद औषध और भेषज के निर्यातक केवल फार्माक्सिल से आर सी एम सी प्राप्त करेंगे। सभी सेवा निर्यातकों (साफ्टवेयर सेवा निर्यातकों को छोड़कर) के लिए एफ आई ई ओ से आर.सी.एम.सी. लेना आवश्यक है। जिन निर्यातकों का मुख्यालय/पंजीकृत कार्यालय उड़ीसा राज्य में है, उन्हें आर सी एम सी भुवनेश्वर स्थित फियो कार्यालय से प्राप्त करना होगा चाहे वे उत्पाद का निर्यात कर रहे हों या नहीं। सेवा क्षेत्र को उचित सलाह देने और बढ़ावा देने के लिए केवल सेवा क्षेत्र के लिए एक निर्यात संवर्धन परिषद् गठित की जायेगी।

इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

के. टी. चाको, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 16th March, 2005

No. 61/2004—2009

F. No. 01/94/180/0009/AM 05/PC IV.—In exercise of powers conferred under Paragraph 2.4 of the Foreign Trade Policy, 2004—2009, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendment(s) in the Handbook of Procedures (Vol. I) :—

Para of 3.12 is amended to read as under : —

Authorities Issuing RCMC	3.12	An exporter desiring to obtain a Registration-cum-Membership Certificate (RCMC) shall declare his main line of business in the application, which shall be made to the Export Promotion Council (EPC) relating to that line of business. However, a status holder has the option to obtain RCMC from Federation of Indian Exporters Organization (FIEO). Notwithstanding anything stated above, exporters of Drugs & Pharmaceuticals shall obtain RCMC from Pharmexcil only. The service exporters (except software service exporters) shall be required to obtain RCMC from FIEO. In respect of exporters having their Head Office/Registered Office in the State of Orissa, RCMC may be obtained from FIEO office in Bhubaneshwar irrespective of the product being exported by them. In order to give proper guidance and encouragement to the Services Sector, an exclusive Export Promotion Council for Services shall be set up.

This issues in the Public Interest.

K. T. CHACKO, Director General of Foreign Trade

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054